

## संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत प्रवेश (Admission for Institutional Preference Seats)

सत्र 2021-22

### अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

बी.ई.-बी.टेक./बी.आर्किटेक्चर/बी.-डी. फार्मसी पाठ्यक्रमों के लिये

संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया था। संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों तक ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी तथा इन सीटों पर प्रवेश पश्चात् संस्था द्वारा घोषित वार्षिक शिक्षण शुल्क ही लिया जावेगा (संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है)

**इन सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित होगी:-**

1. संबधित पाठ्यक्रमों की नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित आर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
2. बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रमों के लिये सर्वप्रथम जेईई मेन 2021 प्रवेश परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
3. फार्मसी (बी./डी.) पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
4. **बी.आर्किटेक्चर** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम आर्किटेक्चर परिषद (Council of Architecture) द्वारा आयोजित **नाटा परीक्षा (NATA Exam) 2021** में **योग्य वैद्य स्कोर कार्ड (Qualified Valid Score Card)** प्राप्त अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के अकों का 50 प्रतिशत एवं नाटा प्रवेश परीक्षा के 50 प्रतिशत अकों को जोड़ कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
5. इन सीटों को "केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरणों" के पश्चात् भरने की अनुमति होगी।
6. यदि संबधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
8. किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

9. अध्यक्ष काउंसलिंग समिति मध्यप्रदेश द्वारा, संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर संस्थाओं द्वारा काउंसलिंग करने के लिये जारी सूचना में घोषित दिनांकों के मध्य काउंसलिंग आयोजित करना होगी।

## संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये

### ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप

(1)	ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)
(2)	दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
(3)	इच्छित संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थिति एवं आवंटन होने पर संस्था में प्रवेश (Presence at desired Institute & if allotment is made than admission in the Institute)

#### 1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइट [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन शुल्क रु 2500/- (पोर्टल चार्जस `30/- सहित) देय होगा जोकि अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

#### पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी—

- अभ्यर्थी वेबसाइट [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें तथा संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर प्रवेश हेतु Registration करावें
- ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को कुछ महत्वपूर्ण डाटा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवश्यक होगा, यथा:—
  - प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर (प्रवेश परीक्षा के आधार पर सम्मिलित होने पर)
  - जन्म तिथि
  - अर्हकारी परीक्षा (अर्थात 10वीं/12वीं की परीक्षा) का रोल नंबर
  - अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक (ग्रेड सिस्टम में उत्तीर्ण होने की दशा में संबिधत बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमानुसार ग्रेड से प्रतिशत में अंकों को बदलना आवश्यक है। यदि अंकसूची में ग्रेड से प्रतिशत में अंकों को बदलने की पद्धति न दी हुई हो तो ग्रेड से प्रतिशत में अंकों को बदलने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाणित फार्मूला अभ्यर्थी अवश्य प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करें तथा सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें)
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष
  - बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के लिये नाटा परीक्षा (NATA Exam) एवं जेईमेन्स-2021 पेपर-2 (Aptitude Test in Architecture) का परीक्षा परिणाम।
  - मोबाईल नंबर

- ई-मेल आईडी
- अन्य कोई विवरण जो मांगा जाये
- पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है:-

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इंटरनेट बैंकिंग</li> <li>➤ एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ई-वालेट</li> <li>➤ एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।</li> </ul>

## 2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग (IPS) हेतु पंजीकृत (Registered) अभ्यर्थियों का अपलोडेड दस्तावेजों (Uploaded documents ) के आधार पर सत्यापन करवाया जायेगा। जिसमें अभ्यर्थी के पात्रता/अपात्रता की सूचना अभ्यर्थी को, पंजीयन के समय दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी, अपात्र अभ्यर्थी, पंजीयन निरस्त लिंक पर जाकर पंजीयन निरस्त कर, पंजीयन में सुधार कर एवं सही दस्तावेज अपलोड कर पुनः पंजीयन उपरान्त, संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग (IPS) में प्रवेश के लिये समिलित हो सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग (IPS) में भाग लेने हेतु पंजीयन की प्रारंभिक तिथियों में ही पंजीयन करावें जिससे सहायता केन्द्रों पर समय रहते ऑनलाइन सत्यापन का कार्य सम्पन्न हो सके।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग (IPS) हेतु, यदि अभ्यर्थी पंजीयन की कार्यवाही पंजीयन की अंतिम तिथियों में करता है, एवं उसके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है तब भी अभ्यर्थी को प्रवेश का अवसर मिलेगा, (अर्थात् संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग (IPS) की समय-सारणी अनुसार संस्था में उपस्थित होने वाले सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जायेगा)। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी प्रवधिक-प्रवेश के उपरान्त सहायता केन्द्र (Help center) पर ऑनलाइन सत्यापन में अपात्र हो जाते हैं, इस संबंध में (SMS) के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित किया जावेगा एवं अभ्यर्थी का प्रावधिक-प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, इसकी समस्त जवाब देही संस्था की होगी। यदि संस्था में संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग (IPS) के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही निरंतर जारी है और अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक है तो पुनः पंजीयन की कार्यवाही समस्त सही दस्तावेजों (Correct document) के साथ कर प्रवेश प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

### अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :-

- प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेन-2021/नाटा-2021 जो भी लागू हो) की अंकसूची
- अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) अभ्यर्थियों के लिये, नवीनतम आय प्रमाण-पत्र (परिवार का) सक्षम प्राधिकारी (कलेक्ट्रेट द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी का मूल प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।

टीप:-

- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का दायी होगा।
- मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।

### 3. इच्छित संस्था में प्रवेश के लिये उपस्थिति एवं आवंटन होने पर संस्था में प्रवेश (Presence at desired Institute & if allotment is made than admission in the Institute)

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये जिस संस्था में प्रवेश लेने का इच्छुक है, उस संस्था द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित तिथि को संस्था में उपस्थित होंगे। वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर भी संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग की तिथि संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

निर्धारित तिथि पर संस्था में उपस्थित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट अनुसार संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

- अभ्यर्थी, ऑनलाइन प्रवेश के के तुरंत बाद ऑनलाइन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उस प्रवेश पर्ची में संस्था के अधिकृत अधिकारी तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हों तथा एक प्रिंटआउट संस्था में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रहेगा।
- प्रवेश उपरान्त प्रवेशित अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिये चैक कैंडिडेट स्टेटस लिंक के माध्यम से स्वयं का प्रवेश संबंधी स्टेटस अवश्य सुनिश्चित कर लें।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण-पत्र संस्था में जमा न करें।

काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइट:- [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in)

सही  
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं  
आयुक्त तकनीकी शिक्षा,  
मध्यप्रदेश